बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक ______________________ पटना/ दिनांक______________________

ग्रा0वि0-11/नि0टि0 51/2013

प्रेषक

शैलेन्द्र कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर एवं सोनवर्षा जिला- सहरसा,
(बिहार)

विषय :- **दिनांक 23.04.2013 उप विकास आयुक्त सहरसा द्वारा प्रखंड कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर एवं दिनांक 27.04.2013 को प्रखंड - कार्यालय सोनवर्षा का किये गये निरीक्षण के संबंध में ।**

प्रसंग :- उप विकास आयुक्त सहरसा के ज्ञापांक 2452 दिनांक 29.04.2013,
उप विकास आयुक्त सहरसा के ज्ञापांक 254-2 दिनांक 2.05.2013

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है दिनांक 23.04.2013 को मनरेगा के अंतर्गत सिमरी वख्यितायरपुर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के क्रम में विकास पदाधिकारी सिमरी वख्तियारपुर को निदेश दिया गया है कि महादलित परिवारों को जॉब कार्ड अविलंब उपलब्ध कराया जाय, एवं चापाकल, एवं पासबुक उपलब्ध कराया जाय,

निरीक्षण के क्रम में कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कार्यक्रम पदाधिकारी, दोनों अनुपस्थित पाये गये है, उनसे तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया ।

दिनांक 27.04.13 को सोनवर्षा प्रखंड का निरीक्षण किया, निरीक्षण के क्रम में प्रखंड-विकास पदाधिकारी सोनवर्षा को निदेश दिया गया कि अगर किसी पंचायत में अनुसूचित जाति के लाभुकों का नाम इंदिरा आवास योजनान्तर्गत जान बुझकर छोड़ दिया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव अविलंब देगें ।

रोकड़ वही का अपलोकन किया गया कि पिछला अग्रिम राशि का व्यौरा अंकित नहीं किया गय है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को अगले निरीक्षण से पूर्व रोकड़ बही अधतन करने एवं लंबित योजना को पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया । इस संबंध में अविलंब कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(शैलेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 15877 दिनांक 23.07.2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी सहरसा एवं विकास आयुक्त सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/7/13

सरकार के संयुक्त सचिव

Application 30